प्रवेश निर्देशिका

PROSPECTUS 2025-26

वीर शहीद केसरी चन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डाकपत्थर विकासनगर, देहरादून

NAAC-B Grade with 2.31CGPA

शैक्षणिक कैलेण्डर 2025–26

1	स्नातक प्रथम सेमेस्टर में समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण की तिथि	दिनांक 23–05–2025 से 30–06–2025
2	प्रथम वरीयता सूची प्रकाशन	दिनांक 18–07–2025
3	प्रवेश हेतु साक्षात्कार	प्रथम वरीयता सूची प्रकाशन से 5 दिन तक
4	प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि	साक्षात्कार से 3 दिन
5	स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि	वि0 वि0परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर
6	स्नातक तृतीय सेमेस्टर, स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर तथा स्नातक तृतीय वर्ष में प्रवेष तिथि	वि0 वि0परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के अन्दर
7	शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ तिथि –	14 जुलाई 2025
8	स्वतन्त्रता दिवस समारोह	15 अगस्त 2025
9	एन0सी0सी0 भर्ती	सितम्बर तृतीय सप्ताह में
10	एन0एस0एस0 भर्ती	सितम्बर तृतीय सप्ताह में
11	रोबर्स /रेन्जर्स भर्ती	सितम्बर तृतीय सप्ताह में
12	छात्र संघ निर्वाचन	शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर
13	वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि	प्रवेश उपरान्त
14	सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि	1 अगस्त 2025
15	एन0एस0एस0 दिवस	24 सितम्बर 2025
16	गान्धी जयन्ती	2 अक्टूबर 2025
17	स्नातक विषम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	दशहरा अवकाश के बाद
18	स्नातकोत्तर विषम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	दीपावली अवकाश के बाद
19	वीर शहीद केसरी चन्द जन्म दिवस	01 नवम्बर 2025
20	राज्य स्थापना दिवस	09 नवम्बर 2025
21	एन0सी0सी0 दिवस	अन्तिम रविवार नवम्बर 2025
22	विश्व एड्स दिवस	01 दिसम्बर 2025
23	स्पर्श गंगा दिवस	17 दिसम्बर 2025
24	वार्षिक क्रीड़ा समारोह	दिसम्बर 2025
25	शीतावकाश	उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार
26	एन0एस0एस0 विषेष (दिन व रात्रि) शिविर	जनवरी 2026 द्वितीय सप्ताह में
27	स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषम सेमेस्टर सत्रान्त परीक्षा	वि0वि0 द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
28	वार्षिकोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	फरवरी 2026 द्वितीय सप्ताह
29	रोबर्स /रेन्जर्स दिवस	22 फरवरी 2026
30	स्नातक सम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	मार्च 2026 चतुर्थ सप्ताह
31	स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	अप्रैल2026 तृतीय सप्ताह
32	श्रीदेव सुमन जन्म दिवस	23 मई 2026
33	स्नातक एवं स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर सत्रान्त परीक्षा	वि0वि0 द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
34	ग्रीष्माावकाश	उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार

1– महाविद्यालय एक परिचय

पतित पावनी यमुना नदी के तट पर अवस्थित ऊर्जा नगरी डाकपत्थर में सम्पूर्ण पछवादून व जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 1993 में की गयी। सत्र 1994–95 से वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 प्रथम वर्ष में 54 छात्र/छात्राओं व एक प्राध्यापक से इस संस्था का शुभारम्भ हुआ। सन 2001–2002 में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान,गणित तथा 2003–04 में कला संकायान्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति शास्त्र की कक्षाएँ प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2005 से एम0कॉम0 की कक्षाएँ प्रारंभ हुई।

महाविद्यालय का अपना भवन न होने के कारण आरम्भ में यह महाविद्यालय डाकपत्थर में सिंचाई खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित किया गया। अब इस भवन में सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ही संचालन हो रहा है। महाविद्यालय का स्थायी भवन लोअर लखवाड़ डाकपत्थर स्थित अपनी 16 एकड़ भूमि पर वर्ष 2008 में बनकर तैयार हुआ। सत्र 2008–09 से इसमें तीनों संकायों वाणिज्य, विज्ञान व कला का संचालन हो रहा है।

महाविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के बाबजूद अपने सम्पूर्ण पछुवादून क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। इसके अन्तर्गत सत्र 2006–07 में दो व्यावसायिक पाठयक्रमों पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स तथा पी0जी0 डिप्लोमा इन योगिक साइंस प्रारम्भ हुआ। सत्र 2008–09 से कला संकाय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान एवं तीन और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पी0जी0 डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, बी0बी0ए0 तथा बी0एड0 का संचालन हो रहा है।

2– सम्बद्धता

उत्तराखण्ड षासन के पत्रांक यू0ओ0सं0–02/XXIV(7)/2017 उच्च षिक्षा अनुभाग–देहरादून दिनांक 10 अगस्त, 2019 तथा निदेशक उच्च षिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/38–40/2018–19 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा महाविद्यालय को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त है। श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस राजकीय महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कला संकाय में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु

विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण–

क्र0 सं0	संकाय	पाठ्यक्रम	अवधि	विषय	स्वीकृत सीट
1	वाणिज्य संकाय	बी0कॉम0	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	वाणिज्य	**160**
		एम0कॉम0	2 वर्ष (4 सेमस्टर)	वाणिज्य	**33**
2	कला संकाय	बी0ए0	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत अर्थशास्त्र, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, राज0 शास्त्र, गृह विज्ञान,मानव विज्ञान	**160 सीट प्रति विषय कुल 480 सीट**
		एम0ए00	2 वर्ष (4 सेमस्टर)	हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र	**30 सीट प्रति विषय**
5	विज्ञान संकाय	बी0एस0–सी0	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान	**60 सीट प्रति विषय**
				जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान	**60 सीट प्रति विषय**
		एम0एस0–सी0	2 वर्ष (4 सेमस्टर)	भौतिक विज्ञान	**17**
				रसायन विज्ञान	**17**
				गणित	**40**
5	व्यवसायिक पाठ्यक्रम **(स्ववित्त पोषित)**	बी0एड0	2 वर्ष	बी0एड0	**50**
		बी0बी0ए0	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	बी0बी0ए0	**40**
		पी0जी0डी0 वाई0एस0	1 वर्ष (2 सेमेस्टर)	पी0जी0डी0वाई0एस0	**40**
		एम0ए0 योगा	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	एम0ए0 योगा	**25**

3– स्नातक स्तर पर प्रवेश नियम सत्र 2025–26

1– प्रवेश सम्बन्धित नियमों हेतु कृपया विश्वविद्यालय (www.sdsuv.ac.in) तथा महाविद्यालय (www.gdcdakpathar.com) की वेबसाइट को देखें।

2– नयी शिक्षा नीति 2020, आरक्षण एवं प्रवेश सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियम लागू होगें।

3– महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन E-Samarth के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। सभी प्रविष्टियों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन–पत्र को निर्धारित तिथि तक पंजीकरण शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करेगें। संलग्नक के अभाव में आवेदन–पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रत्येक संकाय हेतु अलग–अलग ऑन लाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

4– प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों को अवष्य संलग्न करें। प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पर विचार सम्भव नहीं होगा।

(अ) प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र तथा व्यक्तिगत अभ्यर्थी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक–पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा इन सभी के मूल प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे, ताकि अंक–पत्रों तथा प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियों का सत्यापन किया जा सके।

(स) आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(द) पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो रंगीन फोटो।

(य) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ ही मान्य होगा तथा इसी के आधार पर वे उक्त जातियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

(र) खेलकूद तथा अन्य पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

5–प्रवेश हेतु स्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची अभ्यर्थी की मेल–आई0डी0, महाविद्यालय सूचना पट्ट एवं वैबसाईट पर लगा दी जाएगी। ऐसे छात्र ऑनलाइन षुल्क जमा करके रसीद पर अंकित विषयों के प्राध्यापकों से रसीद पर हस्ताक्षर प्राप्त कर कक्षाओं में नाम लिखायेंगे। नियत तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश–संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जाएगी

6–स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश स्थानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता क्रम में दिया जाएगा।

7– प्राचार्य किसी भी प्रवेश आवेदन–पत्र को बिना कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं।

8– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को योग्यता (मेरिट) के आधार पर महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

9– मिथ्या, भ्रामक एवं अपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र–छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। यदि त्रुटिवश या गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र–छात्रा को प्रवेश दिया गया हो, तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

10– यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जाँच के उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

11– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र असत्य पाए जाते हैं तो उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

12– महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक् पालन करना होगा। वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं पाए जायेंगे। उक्त की अवेहलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

13– प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों के परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।

14– विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में समर्थ ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जायेंगे। सभी विषयों में विष्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/विष्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेष किये जायेंगे।

15–विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

16- Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय महाविद्यालय अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों

एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

17— प्रवेश प्राप्त किसी भी विद्यार्थी ने यदि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण—पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय संकाय में जमा न किया हो तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

18— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है—

1	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3	अन्य पिछडा वर्ग	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि के अन्तर्गत जारी हो)

नोट— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

1	महिलाएँ	30 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3	दिव्यांग	05 प्रतिशत
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त– अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता–सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाएगी।

- Extension in date of admission upto 30 days
- Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
- Waiving of domicile requirements.

19– स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

क	एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
ख	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय षिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
ग	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
घ	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/ सगा भाई/ बहन तथा जम्मू–कष्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/ बहन	20 अंक
ङ	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
च	अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
छ	शासन द्वारा/खेल फैडरेषन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर	30 अंक
ज	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर–	25 अंक
झ	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
ञ	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
ट	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
ठ	अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट– उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यार्थियों को अधिकतम 50 अंको का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंको का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेष के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

20– श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/ परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) व सी0सी0 के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विषेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

21–क प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विषेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

ख– अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

22–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण–

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विष्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम

अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम – 1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :–

1. कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
2. विज्ञान संकाय हेतु 45 प्रतिशत अंको ं के साथ उत्तीर्ण।
3. वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंको ं के साथ उत्तीर्ण।

   40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण 45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

5. शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्य की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
7. स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Descipline Specific Core DSC) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय– (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा।

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य	अर्थशास्त्र	इतिहास	शिक्षा शास्त्र	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान
संस्कृत साहित्य	गृह विज्ञान				
	मानव विज्ञान				

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 03 डी0एस0सी0—विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयो ं का चयन करेगा।

विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर मे चयनित डी0एस0सी0—विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

विद्यार्थी दिए गए एक समूह से केवल 01 का डी0एस0सी0—विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषय के रूप में चयन कर सकता है।

अतः विद्यार्थी 02 से अधिक भाषा अथवा साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व 02 से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा। प्रवेशार्थी को महाविद्याल द्वारा संचालित जी0ई0—सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव)) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक—पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग—अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को महाविद्याल द्वारा संचालित जी0ई0—सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव)) पाठ्यक्रमो ं के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

गणित समूह (Mathematics Group)		
Group A	Group B	Group C
गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान

विज्ञान समूह (Science Group)		
Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान	जन्तु विज्ञान	रसायन विज्ञान

वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com.) हेतु

वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com) हेतु प्रवेशार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC) का चयन निम्नानुसार करेगा। प्रवेशार्थी को महाविद्यालय द्वारा संचालित जी0ई0–सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

DSC-1	DSC-2	DSC-3
Financial Accounting	Business Organization and Management	Micro Economics

कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE)

1. ऐसे विद्यार्थी जो 03 डी0एस0सी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।
2. DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।
3. बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चुनाव महाविद्यालय में सचालित विषयो के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।
4. ए0ई0सी0–क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) : विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का होगा।
5. एस0ई0सी0–कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) : स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षो (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/Recognized online plateforms से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न

हो। महाविद्यालय अपनी आंतरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेगा।

6. **वी0ए0सी0–मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course)** : स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक–एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन आई0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
7. **आई0ए0पी0सी0 (इन्टर्नशिप / प्रोजेक्ट / अप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी आउटरीच) / फील्डवर्क पाठ्यक्रम :** इन्टर्नशिप / प्रोजेक्ट / अप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी आउटरीच / फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का LAPC/Filld work से सम्बन्धित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

   इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।

   अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
8. Minor Project : स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस0ई0सी0 (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।
9. Data Science : कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस0ई0सी0 (SEC) के अन्तर्गत डाटा साइंस से संबंधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

   (DSC/DSE/GE) महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों में से ही चयनित किया जाना सम्भव होगा।

4– स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु नियम–

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक डिग्री होगी। स्नातकोत्तर कक्षाओं(एम0ए0 / एम0एस–सी0 / एम0कॉम0) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम (बी0ए0– 40 प्रतिशत तथा बी0एस–सी0– 45 प्रतिशत) प्राप्तांक आवश्यक है। एम0ए0 में प्रवेश बी0ए0 में अध्ययन किये गये विषयों में से चयन के आधार पर होगा।

एम0कॉम0 के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वाणिज्य संकाय की परीक्षा (बी0कॉम0) न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो और अन्य संकाय से बी0ए0 अर्थशास्त्र के साथ व बी0एस–सी0 गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (एम0कॉम0) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेंगे।

5– छात्र गणवेश (Student Dress code)

महाविद्यालय के छात्र –छात्राओं के लिए गणवेष (Dress Code)निर्धारित है। सभी संस्थागत छात्र/छात्राएँ 'कॉलेज यूनिफॉर्म' धारण कर ही महाविद्यालय परिसर एवं कक्षा में प्रवेश करें। विस्तृत विवरण हेतु महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखते रहें।

6– शुल्क एवं उसका भुगतान (Fee and Mode of Payment)

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी से राज्य निधि एवं महाविद्यालय छात्र निधि के अन्तर्गत पूरे सत्र का निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा षुल्क प्रति सेमेस्टर अलग से देय होगा

7– छात्रवृत्ति (Scholarship)

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है, निम्नवत् हैः–

1. **अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति–** माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक न होने पर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति हेतु तथा रुपये 1.00 लाख से अधिक न होने पर पिछड़ी जाति हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में छात्रवृत्ति शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगी।
2. **मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्तिः–** उत्तराखण्ड षासन के शासनादेश सं0149416/XXIV-C-2/2023/06(02)2023 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 अगस्त 2023 के अनुसार देय होगी।
3. **दिव्यांग छात्रवृत्ति :** दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर सभी दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग से देय होगी।
4. **निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष (Poor Student' Fund):** ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राएँ जिन्हें किसी अन्य स्त्रोत से आर्थिक सहायकता या शुल्क सहायता न मिल पाई हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद् के पास इस कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

शासनादेश सं– 2097/XVII-4/2014 दिाांनक 14 नवमबन2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों को त्वरित तथा/पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से 'ऑन लाईन' छात्रवृति की योजना लागू कर दी गई हैं। जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट WWW.scholarship.uk.go.in पर छात्र/छात्रा को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को उसके भविष्य के लिए अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूजर आई.डी.एवं पासबर्ड एस.एम.एस. /ई– मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। यूजर आई.डी. से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने षिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास पत्र, बैंक की पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक का IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो, उसे अपलोड करना आवष्यक होगा। सम्बन्धित छात्र द्वारा ऑनलाइन फीड किए गये, आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधि–सम्मत कार्यवाही की जाएगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक ऑन लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र सॉफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।

नोट : उक्त सभी छात्रवृत्तियां एवं छात्रवृत्ति अनुदान शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय हैं।

8– **उपस्थिति नियम (Rules of Attendance)**

शासनादेश संख्या 528(1) 15– (उ.षि.) 71/97 दिनांक 11 जून, 1917 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रति**श**त उपस्थिति पूरी नहीं करता है। निम्नलिखित स्थिति में पूरे सत्र में किसी विषय में 5 प्रतिषत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 10 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है। –

(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गंभीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अंदर विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

(स) वि**श्व**विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना षिविर, रोवर्स– रेंजर्स षिविर, श्षैक्षणिक

पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सषस्त्र सेनाओं भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रमाण – पत्र उपस्थिति न्यूनता मार्जन पर दिया जाएगा। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

नोटः– प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2025– 26 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विष्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा,वल्कि एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद – सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना षिविर, रोवर्स– रेंजर्स **शि**विर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय स**श**स्त्र सेनाओं भती से वंचित कर दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किए जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। इस आशय का **श**पथ पत्र भी अभ्यर्थियों का देना होगा। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जाता है।

9–महाविद्यालय पुस्तकालय (College Library)

महाविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में लगभग 18961 पाठ्य पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं को पुस्तकें प्राप्त करने के लिए नियमानुसार तिथि निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिवसों में पुस्तकें निर्गत की जाती है।

- सन्दर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होगी। सन्दर्भ ग्रन्थों की संख्या 750 है।
- पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले छात्र/छात्रा की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाए, खो जाए अथवा किसी भॉति नष्ट हो जाए तो पुस्तकधारी छात्र/छात्रा को नई पुस्तक लौटानी होगी अथवा उसके मूल्य की डेढ़ गुना धनराषि जमा करनी होगी।
- परीक्षा से पूर्व पुस्तकों को लौटाना अनिवार्य है। नियत तिथि तक पुस्तक न लौटाने पर निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।
- महाविद्यालय में ई–पुस्तकालय का कार्य गतिमान है।

10–वाचनालय (Reading Room)

छात्र/छात्राओं में लिए दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकाएं पढ़ने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त पुस्तक

एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों का आह्वान किया जाता है कि कक्षाओं में अध्ययन के इतर समय पर पत्र – पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्वि करते रहें।

11– **महाविद्यालय पत्रिका** (**College Magazine**)

महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाषन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देष्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना हैं। छात्र/छात्राएं अपनी स्व–निर्मित रचनाओं को प्रका**श**न हेतु पत्रिका के सम्पादक मण्डल को हस्तगत करायें। साथ ही सम्पादक मण्डल से रचना–लेख आदि के लिए उचित परामर्श एवं मार्गद**र्श**न भी प्राप्त कर लें। सम्पादक मण्डल द्वारा चयनित उत्कृष्ट लेखों को प्रका**शि**त किया जाएगा।

12– कैरियर काउन्सलिंग (Career counseling)

वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यार्थियों में दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविष्वास करने तथा रोजगार परक सूचनाएँ प्रदान करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक कैरियर काउन्सलिंग सेल की स्थापना की गई है। कैरियर काउन्सलिंग सेल के द्वारा समय – समय पर कैरियर सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी इस कैरियर काउन्सलिंग सेल में अन्य दिनों में भी पराम**र्श** प्राप्त कर सकते हैं।

13– **पूर्व छात्र परि**षद (**Alumni Association**)

महाविद्यालय के विकास में भूतपूर्व छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित् करने के लिए महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद का गठन किया जाता है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवे**श** प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती हैं। यदि उनके बडे भाई/ बहन/अभिभावक इस महाविद्यालय पूर्व छात्र रहे हों उनकी सूचना महाविद्यालय को उपलब्ध करायें।

14– अभिभावक– शिक्षक परिषद् (Parent &Teacher Association)

महाविद्यालय के विकास में अभिभावकों की भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए महाविद्यालय में अभिभावक–शिक्षक परिषद् गठित की जाती है। इस परिषद् में प्राचार्य संरक्षक, वरिष्ठ प्राध्यापक सचिव तथा अभिभावकों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव

किया जाता है। अभिभावक – शिक्षक परिषद की बैठकें समय – समय पर सम्पादित की जाती हैं।

15– महिला प्रकोष्ठ (Womenn Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख – रेख के अतिरिक्त छात्राओं के **शा**रीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्य की संख्या अधिक रखी जाती है ।

16– अनुशासन एवं शास्ता मण्डल (Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ **शै**क्षिक वातारण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। **शा**स्ता मण्डल का संयोजक मुख्य **शा**स्ता होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु **शा**स्ता सदस्य होते हैं।

महाविद्यालय के शास्ता मण्डल द्वारा निम्नलिखित कृत्यों में संलिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी–

1.महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का वचन एवं कर्म द्वारा अनादर करना।

2.महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं अनादर प्रदर्शित करना।

3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य, जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुॅचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
7. परिसर में किसी राजनीति या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार –प्रसार या प्रद**र्श**न करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से मना करना।

10.महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थो का सेवन करना।

11.महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन/इश्तहार लगाना।

12.महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाना /क्षति पहुॅचाने का प्रयास करना।

13.महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना,अनायास **श**ोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।

14.कक्षाओं में च्युइंगम, पान मसाला, मोबाईल फोन का प्रयोग करना।

15.महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मॉगने पर प्रस्तुत न करना।

16.जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंधन करेगा उसको निलंबित, अर्थ दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा वि**ष्**वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

17– **अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम (Discipline Important Rules)**

1– प्रत्येक छात्र के पास परिचय पत्र का होना आव**श्**यक है, जिसे परिसर में कभी भी मॉगा जा सकता है। परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य षास्ता/कार्यालय से प्राप्त कर लें।

2–महाविद्यालय परिसर में रैंगिंग (किसी भी रूप में) पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। रैंगिंग में में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

3–जिन छात्रों की गतिविधियॉं षास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्र**ष**ासन की दृष्टि में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

4–महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनु**श**ासन भंग करने का दोषी माना जाएगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।

5–दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होगें।

18– रैगिंग–एक कानूनी अपराध (Ragging –A Legal Offence)

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या 310/04/एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम, राज्यपाल, उत्तराखण्ड **षा**सन) के निर्दे**शा**नुसार महाविद्यालय में भी एण्टी रैगिंग निरोधक समिति एवं एन्टी रैगिंग दस्ता गठित है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्यवाही हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है। रैगिग में संलिप्त होने की द**शा** में महाविद्यालय प्र**शा**सन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

19– पाठ्य– सहगामी क्रियाकलाप

(अ) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

"मैं नहीं परन्तु आप"(Not Me,But You) की भावना पर आधारित राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियॉ संचालित होती हैं जैसेः– शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान,बाढ़,भूकम्प,सूखा इत्यदि) के लिए कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम।

वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो ईकाई कार्यरत है, जिसके तहत 200 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो षिक्षण सत्रों में 240 घण्टे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक 07 दिवसीय विषेष षिविर (ए प्रमाण पत्र) एवं 05 एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की ,बी, व सी प्रमाण पत्रों की परीक्षाएँ भी आयोजित होती हैं, जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान्य प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जाता है।

(ब) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C)

राष्ट्रीय कैडेट कोर एक युवा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में युवाओं में नेतृत्व और देशभक्ति के मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है– **"एकता और अनुशासन"**

(स) रोवर्स–रेंजर्स (Rovers-Rangers)

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक, समरसता, जनचेतना, दक्षता एवं सेवाभाव विकसित करने के लिए भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड संगठन के निर्देशन में महाविद्यालय में रोवर्स–रेंजर्स की इकाई स्थापित है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र–छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उप–राष्ट्रपति पदक प्रमाण पत्र सहित प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रषिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित हैं।

(द)क्रीड़ा एवं खेलकूद (Sports and Games)

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियॉ संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर उन्हें विभिन्न अन्तर–महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक कीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्षन करने वाले प्रतिभागियों को महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेलकूद के अन्तर्गत एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, वॉलीबॉल एवं शतरंज की सुविधा उपलब्ध है।

(य) छात्रसंघ (Student Union)

छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश संख्या S.L. P.(Civi)No24295/2004 दिनांक 26–06–2004 जो भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च षिक्षा सचिव उत्तराखण्ड षासन द्वारा निर्गत आदेष संख्या 184/XXIV(6)2007–3(168)/2001 दिनांक 27–02–2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विष्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिषों के आधार पर सम्पन्न कराए जायेगें।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत संस्थागत स्तर पर छात्र संघ चुनाव करवाया जाना आवष्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर स्नातक कक्षाओं तक 17से 22 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचित होने पर केवल 1 बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने पर 2 बार चुनाव लड़ सकेगा । निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्राचार्य द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा।

चुनाव आचार संहिता, आयु–सीमा एवं व्यवस्थायें लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होंगी। साथ ही छात्र संघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकता है।

(र)सांस्कृतिक परिषद् (Cultural Council)

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं संवर्द्धन करने तथा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक–साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता, सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद् गठित की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्राएं सांस्कृतिक क्लब की सदस्यता अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

(ल) **विभागीय परिषद् (Departmental Council)**

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करेंगे। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि का आयोजन करेंगें। अन्तर्विभागीय प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती हैं।

20– अन्य नियम

(अ) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना आवश्यक है। महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (स्थाई चरित्र प्रमाण पत्र सहित) देय होगा।

(ब) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

संस्थागत छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के उपरान्त मुख्य नियन्ता की संस्तुति के पष्चात् दिया जाता है। यदि किसी छात्र की चरित्र प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति की आवष्यकता हो, तो वह 06 महीने के अन्तराल पर ही निर्गत किया जा सकता है। अतः छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपियों का प्रयोग करना चाहिए।

(स) परिचय पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र–छात्रा माविद्यालय से निर्गत परिचय पत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में हर समय छात्र के पास परिचय पत्र उपलब्ध रहना चाहिए ।

(द) शुल्क रसीद (FeeReceipt)

छात्र/छात्रा को प्रवेश के पश्चात् सम्पूर्ण सत्र हेतु अपनी फीस रसीद को संभालकर रखना अनिवार्य होगा ।

(य) महाविद्यालय विविध –आवेदन पत्र (Misccellaneous Application Forms)

महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र आदि नियत समय पर छात्र–छात्रा के द्वारा स्वयं देने पर ही स्वीकार किये जायेंगे और मान्य होंगे।

नोट–इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन संशोधन का पूर्ण अधिकार प्राचार्य का होगा। नये शासनादेश के प्राप्त होने पर तदनुसार नियमों /निर्देशों में संशोधन कर दिये जायेंगें।

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

1–समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राएँ सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाएँ नियमित रूप से पढ़ें। छात्र–छात्राएँ सूचना पट्ट पर लगी सूचनाओं को कदापि न फाड़ें अन्यथा दण्ड के भागी बन सकते हैं।

2–छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनषील रहेंगें तथा महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर सम्भव सहयोग देंगे।

3–छात्र–छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षणिक एवं सह–शैक्षिक क्रिया–कलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

4–महविद्यालय में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से विद्यार्थी अपना परिचय पत्र साथ में रखें अन्यथा महाविद्यालय परिसर व कक्षाओं से वंचित किया जाएगा।

5–विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन–पत्र निर्धारित उपस्थिति एवं शुल्क भुगतान किए जाने की दशा में ही अग्रसारित किया जाएगा।

6–महाविद्यालय कार्यालय में जो भी धन जमा किया जाए उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र–छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगें।

7–शैक्षणिक कलैण्डर प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा ।

8–शुल्क जमा करने के प्श्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखवाना छात्र–छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

9–महाविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा गैर इरादतन की गई किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।

10– स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश लेने के तुरन्त बाद एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 अथवा रोवर्स–रेंजर्स में पंजीयन हेतु तत्सम्बधी अधिकारियों से सम्पर्क करें।

11–महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे अपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।

12–छात्र–छात्राओं की प्रवेशित विषय में 75 प्रतिषत उपस्थिति अनिवार्य है।

प्रारूप–क

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1–मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूगीं एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

2–मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य है। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

3–मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।

4–मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

5–यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6–यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

प्रति हस्ताक्षरित   छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

(महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप–ख

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ....

जो मेरे संरक्षण में रहेगा/रहेगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखगा /रखेगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

वार्षिक शुल्क विवरण (Annual Fee Details)

प्रवेश शुल्क 2025–26

क्र0सं0	मानक मद	स्नातक	स्नातकोत्तर
1	प्रवेश शुल्क	3=00	3=00
2	पुस्तकालय शुल्क	3=00	10=00
3	विकास शुल्क	20=00	20=00
4	मंहगाई शुल्क	240=00	240=00
5	प्रयोगशाला शुल्क	240=00	240=00
6	पंखा शुल्क	5=00	5=00
7	विद्युत एवं जल	60=00	60=00
8	विविध शुल्क	100=00	100=00
9	पत्रिका शुल्क	50=00	50=00
10	वाचनालय शुल्क	30=00	30=00
11	विभागीय परिषद शुल्क	50=00	50=00
12	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10=00	10=00
13	परिचय पत्र शुल्क	25=00	25=00
14	छात्र संघ	45=00	45=00
15	रोवर रेंजर	30=00	30=00
16	महाविद्यालय दिवस	20=00	20=00
17	सांस्कृतिक परिषद	45=00	45=00
18	महाविद्यालय प्रांगण विकास	50=00	50=00
19	कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	80=00	80=00
20	जनरेटर शुल्क	50=00	50=00
21	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60=00	60=00
22	कैरियर कॉउन्सिलिंग	30=00	30=00
23	प्रसाधन शुल्क	50=00	50=00
24	क्रीड़ा शुल्क	300=00	300=00
25	प्रायोगिक मौखिक शुल्क (प्रति विषय)	50=00	50=00
26	शिक्षक अभिभावक संघ	30=00	30=00
27	कॉसन मनी	200=00	200=00

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी, प्राध्यापक एवं कर्मचारी

	प्राचार्य–	प्रो0 (डॉ0) डी0एस0 नेगी
	भौतिक विज्ञान विभाग	
1–	डॉ0 विनोद सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 योगेश प्रसाद	असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 आराधना भण्डारी	संविदा प्रवक्ता
	रसायन विज्ञान विभाग	
1–	डॉ0 अरविन्द मोहन पैन्यूली	असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 रोहित वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 सुशील चंद्र सती	संविदा प्रवक्ता
	गणित विभाग	
1–	डॉ0 रोशन लाल केष्टवाल	एसोसिऐट प्रोफेसर
2–	डॉ0 परवेज आलम	असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 श्वेता पाण्डेय	संविदा प्रवक्ता
	वनस्पति विज्ञान विभाग	
1–	डॉ0 प्रेम सिंह चौहान	संविदा प्रवक्ता
2–	**डॉ0 नेहा कुकरेती**	संविदा प्रवक्ता
	जन्तु विज्ञान विभाग	
1–	डॉ0 दिलीप कुमार भाटिया	असिस्टेंट प्रोफेसर
	हिन्दी विभाग	
1–	प्रो0 (डॉ0) अरविन्द कुमार अवस्थी	प्रोफेसर
2–	डॉ0 नीलम ध्यानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 मंजू गौतम	असिस्टेंट प्रोफेसर
4–	डॉ0 मीनाक्षी राणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
	संस्कृत विभाग	
1–	प्रो0 (डॉ0) राधेश्याम गंगवार	प्रोफेसर
2–	डॉ0 वीर राघव खण्डूड़ी	असिस्टेंट प्रोफेसर
	अंग्रेजी विभाग	
1–	डॉ0 दीप्ति बगवाड़ी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 माधुरी रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 सीमा पुण्डीर	असिस्टेंट प्रोफेसर

	इतिहास विभाग	
1—	डॉ0 विजय बहुगुणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
2—	प्रा0 अनिल शाह	असिस्टेंट प्रोफेसर
3—	प्रा0 अविनाश भट्ट	असिस्टेंट प्रोफेसर
	राजनीति विज्ञान विभाग	
1—	डॉ0 राजकुमारी भण्डारी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2—	डॉ0 अमित गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर
3—	डॉ0 कृतिका नेगी	असिस्टेंट प्रोफेसर
	मानव विज्ञान विभाग	
1—	डॉ0 खुशीकान्त बंगवाल	संविदा प्रवक्ता
	अर्थशास्त्र विभाग	
1—	डॉ0 हरीश चन्द्र	असिस्टेंट प्रोफेसर
	शिक्षा शास्त्र विभाग	
1—	डॉ0 निरंजन कुमार प्रजापति	असिस्टेंट प्रोफेसर
2—	डॉ0 अशोक कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
	गृह विज्ञान विभाग	
1—	डॉ0 पूजा पालीवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
	वाणिज्य संकाय	
1—	डॉ0 पूजा राठौर	असिस्टेंट प्रोफेसर
2—	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद बड़ौनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3—	डॉ0 राजेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम	
	1—बी0एड0 विभाग	
1—	डॉ0 रुचि बहुखण्डी	विभागाध्यक्ष
2—	श्रीमती प्रिन्सी कर्णवाल	संविदा प्रवक्ता वाणिज्य
3—	कु0 कविता बडोला	संविदा प्रवक्ता अंग्रेजी
4—	श्री अभिषेक गौड़	नितान्त अस्थाई जीव विज्ञान
5—	श्रीमती दीपमाला	नितान्त अस्थाई भौतिक
6—	जनार्दन नौगाईं	नितान्त अस्थाई हिन्दी
7—	श्री विमल डबराल	पुस्तकालयाध्यक्ष
	2—पी0जी0 डिप्लोमा इन योगिक साइंस एवं योगा	
1—	कु0 पूजा	गेस्ट फैकल्टी
2—	श्री अनुज जोशी	गेस्ट फैकल्टी

	3—बी0बी0ए0	
1—	श्रीमती भावना गर्ग	गेस्ट फैकल्टी
2—	श्रीमती रीना ठाकुर	गेस्ट फैकल्टी
3—	श्रीमती दीपा राणा	गेस्ट फैकल्टी

महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी

1—	श्री मनमोहन सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2—	श्री प्रमेन्द्र सिंह रौथण	प्रशासनिक अधिकारी
3—	श्री राकेश सिंह जोगी	कनिष्ठ सहायक
4—	श्री विनोद कुमार	सहा0 पुस्तकालयाध्यक्ष
5—	श्री राजेश कुमार	इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिकल
6—	श्री पंकज कुमार	प्रयोगशाला सहायक
7—	श्रीमती सोनी डिमरी	प्रयोगशाला सहायक
8—	श्रीमती अंजली देवी	प्रयोगशला सहायक
9—	श्रीमती नीतू चौहान	प्रयोगशाला सहायक
10—	श्रीमती पूनम गांधीयन	प्रयोगशाला सहायक
11—	श्री सुधीर रावत	प्रयोगशाला परिचारक क्षे0का0 सम्बद्ध
12—	श्री सुनील कुमार मैठाणी	प्रयोगशाला परिचारक
	उपनल कर्मचारी	
1—	श्री अरविन्द सिंह नेगी	प्रयोगशाला सहायक
2—	श्री बलबीर सिंह पंवार	प्रयोगशाला सहायक
3—	श्री दीपक भट्ट	बुक लिफ्टर
4—	श्री चैत राम चौहान	प्रयोगशाला परिचारक
5—	श्री खजान सिंह	प्रयोगशाला अनुसेवक
6—	श्री सचिन कुमार	कार्यालय अनुसेवक
7—	श्री दीपक बिष्ट	प्रयोगशाला परिचारक
8—	श्री जय भगवान	प्रयोगशाला परिचारक
9—	श्री महावीर कुमार	रात्रि चौकीदार सचिवालय सम्बद्ध
10—	श्री रतन लाल गोदियाल	चौकीदार
11—	श्रीमती सविता	स्वच्छक
	उपनल कर्मचारी बी0एड0 विभाग	
1—	श्री अशोक सिंह कण्डारी	सहायक लेखाकार
2—	श्रीमती शीतल तोमर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
3—	श्रीमती अनिता पंवार	स्टोर कीपर

Digitally signed by Dalip Singh Negi
Date: 2025.06.27 20:20:11 +05'30'

प्राचार्य
वीर शहीद केसरी चन्द
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डाकपत्थर